№ 015967

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 1892.

वर्ष 2010-11

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि "दिव्य शिक्षण एवं विकास संस्थान" मुहल्ला - सीतामढ़ी सेन्ट्रल स्कूल, कारगिल चौक, बाईपास रोड, पो० + जिला- सीतामढ़ी, बिहार।

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख पन्द्रह मास फरवरी वर्ष दो हजार ग्यारह को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु अनुशंसा नहीं माना जाए

15/2/11

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

बि० स० मु० (निबन्धन), 1 —II—10,000—8-5-2010—

Sabyasachi Bhadra
22/06/23

PRINCIPAL
SITAMARHI CENTRAL SCHOOL
PARASPATTI, DUMRA, SITAMARHI
PIN-843301

④

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR मिथिला शिक्षा एवं विकास संस्थान सीतामढ़ी

सीतामढ़ी

D 584891

वसीम अहमद खां
स्टाम्प वेन्डर
रजिस्ट्री ऑफिस, हाजीपुर (बिहार)
ला० नं०-7/...

2279
12/5/10

Lalan Kumar Singh

पत्र संख्या-बी० एस०³-10 ....1896 / 2010-270

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय

(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

"दिव्य शिक्षण एवं विकास संस्थान"

पटना, दिनांक- 18/2/2011

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के उपबन्धों के अनुसार यथावत् दाखिल / निबंधित/ अभिलेखित किया गया / किये गये।

फीस का ज्ञाप रु० 50/-(पचास रुपये) केवल।

संस्था स्मृति-पत्र/नियमावली एवं आम सभा का प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

सचिव,
"दिव्य शिक्षण एवं विकास संस्थान"
मु०- सीतामढ़ी सेन्ट्रल स्कूल, कारगिल चौक
बाईपास रोड, पो०+ जिला - सीतामढ़ी

की सेवा में उनके पत्र संख्या ....शून्य.... दिनांक 17/1/2011 के प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है, प्राप्ति की सूचना दें।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

" दिव्य शिक्षण एवं विकास संस्थान "

का

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :– " दिव्य शिक्षण एवं विकास संस्थान "
2. निबंधित कार्यालय :– इस संस्था का निबंधित कार्यालय– मुहल्ला– सीतामढ़ी सेन्ट्रल स्कूल, कारगिल चौक के पास, बाईपास रोड, पो0+जिला– सीतामढ़ी (बिहार) में रहेगा । आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्त्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।
3. कार्यक्षेत्र :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।
4. उद्देश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :–

1. शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेगी तथा आवासीय विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, पठन–पाठन कक्ष, छात्रावास, अनौपचारिक शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय, मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना तथा गरीब असहाय, विकलांग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हर संभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना तथा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षण संस्थान का संचालन करना ।
2. समाज के दलितों, महादलितो पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक से कमजोर वर्गो, आदिवासियों, असहाय महिलाओं अनाथों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना ।
3. बालक/बालिकाओं के यौन शोषण को रोकना, बाल–श्रमिक, महिला श्रमिक एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना । उनके लिए उत्प्रेरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना ।
4. निःसहाय महिलाओं एवं पूरूषों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, हस्तकला, कुटीर उद्योग, डेयरी उद्योग, गृह उद्योग, ग्रामीण उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन, बकरीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनने में मदद करना ।
5. संस्था द्वारा अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना ।
6. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मधुबनी पेन्टिंग, कशीदाकारी, गुड़िया निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण सौन्दर्य एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देना ।
7. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, बालबाड़ी, महिला सशक्तिकरण, आगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र का संचालन करना तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के वितरण कराना ।

" दिव्य शिक्षण एवं विकास संस्थान "

की

नियमावली

1. **संस्था का नाम** :– " दिव्य शिक्षण एवं विकास संस्थान "
2. **परिभाषा**
   - क– संस्था से अभिप्राय है :– " दिव्य शिक्षण एवं विकास संस्थान "
   - ख– समिति से अभिप्राय है :– संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
   - ग– पदाधिकारी से अभिप्राय है :– अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
   - घ– वर्ष से अभिप्राय है :– 01लीं अप्रील से 31 मार्च तक ।
   - ड– एक्ट से अभिप्राय है :– सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860
3. **सदस्यता**

   कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक के होंगे तथा जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करेंगे, संस्था का सदस्य बन सकते है । सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 25/– रू0 प्रवेश शुल्क एवं 101/– रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।
4. **सदस्यता से विमुक्ति :–**

   निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी ।
   - क– स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
   - ख– पागल या मृत्यु होने पर ।
   - ग– न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
   - घ– सदस्यता शुल्क लगातार तीन वर्ष तक नहीं देने पर ।
   - ड– लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।
   - च– समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।
5. **कार्यकारिणी समिति का गठन :–**
   - क– कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 07 (सात) सदस्य होंगे ।
   - ख– कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा ।
   - ग– कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्षो की होगी । निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।
   - घ– अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य की मनोनित कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे ।

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, योग्यता, पेशा, पद एवं हस्ताक्षर नी दिया गया है । वर्त्तमान के स्मृति–पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी है ।

क्र०	नाम, पिता/पति का नाम	पता	योग्यता/पेशा/पद		हस्ताक्षर
01	श्री राज किशोर सिंह पिता–स्व० दिल्दार सिंह	ग्राम–बसविटी पो०+थाना–छौरहियाँ जिला–सीतामढ़ी ।	आठवाँ/समाज सेवा/अध्यक्ष		राज किशोर सिंह
02	श्री ललन कुमार सिंह पिता–श्री नन्दलाल सिंह	63, नगर परिषद, थाना रोड वार्ड नं०–46, नगर परिषद मेला रोड, अंचल–डुमरा सीतामढ़ी–843302	बी०ए०/शिक्षण कार्य/सचिव		Lalan Kumar Singh
03	सुश्री दिव्या कुमारी पिता–श्री मनोज कुमार	ग्राम–सिरीपुर पो०+थाना–घोड़ासाहन मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण	आई०ए०/ समाज सेवा/कोषाध्यक्ष		दिव्या कुमारी
04	श्री अमृत राम पिता–स्व० जुड़ी राम	ग्राम–चैनपुर थाना+पो०–मेजरगंज जिला–सीतामढ़ी	सातवाँ/कृषि कार्य/सदस्य		अमृत राम
05	श्री प्रमोद कुमार पिता–स्व० कोदो सिंह	ग्राम–चैनपुर थाना+पो०–मेजरगंज जिला–सीतामढ़ी	आठवाँ/कृषि कार्य/सदस्य		प्रमोद कुमार
06	श्रीमती विभा देवी पति–श्री मनोज सिंह	ग्राम–बसविटी पो०–छौरहिया थाना–सहीमारा जिला–सीतामढ़ी	आठवाँ/समाज सेवा/सदस्य		विभा देवी
07	श्री राकेश सिंह पिता–स्व० शिवजी सिंह	ग्राम–बसविटी पो०–छौरहिया थाना–सहीमारा जिला–सीतामढ़ी	सातवाँ/कृषि कार्य/सदस्य		राकेश सिंह

Lalan Kumar Singh ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त क्रमांक–01 से लेकर 07 तक के सभी व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें मैं जानता एवं पहचानता हूँ ।

हस्ताक्षर : Patal Varma 15.07.10

नाम : Dr. Patal Varma

मुहर : Medical Officer P.H.C. Rajapakar Vaishali Bihar

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, योग्यता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है । वर्त्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है ।

क्र०	नाम, पिता/पति का नाम	पता	योग्यता/पेशा/पद		हस्ताक्षर
01	श्री राज किशोर सिंह पिता–स्व० दिल्दार सिंह	ग्राम–बसविट्टी पो०+थाना–छौरहियाँ जिला–सीतामढ़ी ।	आठवाँ/समाज सेवा/अध्यक्ष		राज किशोर सिंह
02	श्री ललन कुमार सिंह पिता–श्री नन्दलाल सिंह Lalan kumar Singh	63, नगर परिषद, थाना रोड वार्ड नं०–46, नगर परिषद मेला रोड, अंचल–डुमरा सीतामढ़ी–843302	बी०ए०/शिक्षण कार्य/सचिव		Lalan kumar Singh
03	सुश्री दिव्या कुमारी पिता–श्री मनोज कुमार	ग्राम–सिरीपुर पो०+थाना–घोड़ासाहन मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण	आई०ए०/ समाज सेवा/कोषाध्यक्ष		दिव्या कुमारी
04	श्री अमृत राम पिता–स्व० जुड़ी राम	ग्राम–चैनपुर थाना+पो०–मेजरगंज जिला–सीतामढ़ी	सातवाँ/कृषि कार्य/सदस्य		अमृत राम
05	श्री प्रमोद कुमार पिता–स्व० कोदो सिंह	ग्राम–चैनपुर थाना+पो०–मेजरगंज जिला–सीतामढ़ी	आठवाँ/कृषि कार्य/सदस्य		प्रमोद कुमार
06	श्रीमती विभा देवी पति–श्री मनोज सिंह	ग्राम–बसविटी पो०–छौरहिया थाना–सहीमारा जिला–सीतामढ़ी	आठवाँ/समाज सेवा/सदस्य		विभा देवी
07	श्री राकेश सिंह पिता–स्व० शिवजी सिंह	ग्राम–बसविटी पो०–छौरहिया थाना–सहीमारा जिला–सीतामढ़ी	सातवाँ/कृषि कार्य/सदस्य		राकेश सिंह

Lalan kumar Singh

[illegible signature]

6. **पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-**

अध्यक्ष

क- संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख- कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग- किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

क- संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ग- पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ- आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।

ड- संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।

च- कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

छ- कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।

ज- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष

क- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख- संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग- संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

घ- आवश्यकतानुसार अपने पास 1000/- रू0 तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना ।

7. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-**

क- संस्था के चल एवं अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।

ख- संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।

ग- शाखा एवं उपशाखा का गठन करना ।

घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

8. आकस्मिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना । राहत कार्यो में सहयोग करना ।

9. समाज में व्याप्त कुरीतियॉ जैसे बाल-विवाह, दहेज प्रथा आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना । आदर्श विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना ।

10. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, नलकूप आदि उपलब्ध कराना । औषधि पौधों एवं नगदी पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ।

11. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । सौर उर्जा, प्राकृतिक उर्जा का प्रचार-प्रसार करना । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना ।

12. लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना तथा यातायात के नियमों का प्रचार-प्रसार करना ।

13. संस्था द्वारा अल्पसंख्यक एवं अन्य शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकणकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकि प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना ।

14. संस्था द्वारा कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न स्तर के व्यवसायिक पाठ्क्रमों का संचालन, हार्ड वेयर, साफ्टवेयर, इन्टरनेट आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना ।

15. संस्था द्वारा विकलांगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करना ।

16. समाज के सभी वर्गो के गरीब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना । परिवार कल्याण शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर, टीकाकरण शिविर आदि कार्यक्रमों का संचालन, स्वास्थ्य शिविर आदि का संचालन करना ।

17. असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0 कालाजार हेपटाईटिस आदि से बचने हेतु अवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा, एम्बुलेश सेवा, चलन्त चिकित्सा उपलब्ध कराना संस्था द्वारा लोगों के स्वास्थ्य रक्ष हेतु विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण करना ।

18. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना । पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना । नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना ।

19. देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना कार्यक्रमों का संचालन करना । उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना एवं जागरूक करना ।

20. सरकार द्वारा पारित सभी तरह की योजनाएँ एवं गैर योजनाएँ जिसमें निर्माण कार्य एवं अन्य तरह के विकास कार्य करने के लिए यह संस्था सक्षम होगी ।

Lalan Kumar Singh

8. **आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–**

क– समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख– संस्था के आय–व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

ग– उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

घ– अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

9. **बैठक :–**

क– कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।

ख– आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

ग– कार्यकारिणी समिति एवं आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

10. **बैठक की सूचना :–**

क– आम सभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ख– आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ग– कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।

घ– कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ङ– बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी ।

11. **प्रार्थित बैठक**

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते है तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते है ।

12. **कोरम (गणपूर्ति)**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल दो तिहाई सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्कता नहीं होगी ।

13. **आय का श्रोत :–**

क– सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

ख– सरकारी, गैर सरकारी, दान, अनुदान, सहायता ।

14. **निधि का अंकेक्षण :–**

क– संस्था की आय–व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाएगा ।

ख– निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है । जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

Lalan Kumar Singh

15. **कोष का संचालन :–**
संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

16. **पंजी का निरीक्षण :–**
संस्था का सभी पंजियॉ निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहॉ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

17. **नियमावली में संशोधन :–**
नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

18. **कानूनी कार्रवाई –**
संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति के सलाह से की जायेगी ।

19. **विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था :–**

क– संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा– 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

ख– आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।

ग– विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

....

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

राज किशोर सिंह — अध्यक्ष

दिव्या कुमारी — कोषाध्यक्ष

Lalan kumar Singh — सचिव